

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
क्रमांक-...../भू अर्जन/17 सतना,दि.....

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0 भोपाल

विषय:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन।

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्र0-एच-1-10/07/सामान्य-2 डी0/82 भोपाल दिनांक 24.10.83 के अनुसार ग्राम बरदाडीह तहसील रघुराजनगर जिला सतना प्रस्तावित भूमियों के अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण पुर्नवास अधिनियम 2013 की 19 धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप 4 प्रति में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया म0प्र0 राजपत्र भाग 1 में अधिसूचना को प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा अधिसूचना के प्रकाशन की जानकारी इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।
संलग्न:- अधिसूचना प्रारूप धारा 19।

(मुकेश शुक्ल)
कलेक्टर

जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग
सतना,दि 27/11/2017

क्रमांक-...../भू अर्जन/2017
प्रतिलिपि:-

1. संचालक (विज्ञापन शाखा) जन सम्पर्क संचालनालय बैन गंगा भोपाल की ओर विज्ञप्ति 4 प्रतियों में संलग्न संप्रेषित कर अनुरोध है कि जिला सतना से प्रकाशित होने वाले दैनिक दो हिन्दी समाचार पत्रों में निरंतर दो दिवस उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय को सूचित करें।
2. कलेक्ट्रेट (एन0आई0सी0) शाखा कृपया जारी की गई अधिसूचना को जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार रघुराजनगर की ओर विज्ञप्तियों की प्रतियां भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आम जनता की जानकारी के लिये संबंधित ग्राम के चौपाल/सार्वजनिक स्थान तह0 के नोटिस बोर्ड पर तथा एक प्रति पटवारी को भेजकर संबंधित ग्रामों में डोंडी पिटवाकर पालन प्रतिवेदन भेजें।
5. एक प्रति कार्यालय कलेक्टर सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. सहायक संचालक जनसंपर्क, सतना को विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
7. कार्यकारी अभियंता, पश्चिम मध्य रेल्वे सतना की ओर सूचनार्थ। धारा 19 का प्रकाशन कराकर राजपत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें।

संलग्न:- अधिसूचना प्रारूप धारा 19

कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र. 584 / भू-अर्जन / 2017

सतना, दिनांक

27/11/2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर / ग्राम - बरदाडीह

(घ) क्षेत्रफल-4.359 हे०


खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	0.648
2/1	0.108
2/2	0.016
3	0.045
4/1	0.025
4/2	0.025
4/3	0.025
4/4	0.025
5	0.057
6	0.061
7	0.073
8	0.085
9	0.040
10/1	0.297
10/2	0.284
11/1/ब	0.008
11/1/स	0.024
12/1/ब	0.345
12/1/स	0.769
13/1/ब	0.020
13/1/स	0.024
14/1/ब	0.265
14/1/स	0.276
15/1/ब	0.008
15/1/स	0.024
17/479	0.020
18/2	0.012
19	0.024
20/1	0.065
21	0.036




22/2	0.024
23/481	0.016
25/2/2	0.077
25/2/3	0.129
29/1/ख	0.040
29/1/ग	0.134
30/1/ब	0.053
30/1/स	0.152

निजी खाता भूमि योग रकवा 4.359 हे०

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा, - खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।


 (एस और जरूरिया)
 कार्यकारी अभियंता
 पश्चिम मध्य रेल्वे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार


 (मुकेश शुक्ल)
 कलेक्टर

जिला सतना (म०प्र०)
 एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन
 राजस्व विभाग